(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–2020
दिनांकः 7 सितम्बर, 2021

**विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.107 में संशोधन।**

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत–मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित अधिसूचना सं. 25/2021 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 की तालिका 4 के अनुसार टीआरक्यू के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के आयात हेतु परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक III के रूप में प्रक्रिया निर्धारित करने के अलावा भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 को संशोधित करते हैं:

| विवरण | एचएस सं. | विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कोटा दर (%) में/बाहर | इन–कोटा टैरिफ दर | अधिसूचना | टैरिफ दर कोटा मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के तहत टीआरक्यू के तहत निम्नलिखित मदों की अनुमति है# | | | | | |
| ताजाः–अन्य | 06031900 | - | 30% | सं. 25/2021 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 | 15 टन |
| अनानास | 08043000 | - | 10% | | 1000 टन |
| लीची | 08109060 | - | 10% | | 250 टन |
| वनिलाः न तो क्रश किया हुआ न ही पिसा हुआ | 09051000 | - | 10% | | 15 टन |
| वनिलाः क्रश किया हुआ या पिसा हुआ | 09052000 | - | 10% | | 1 टन |
| टयूना | 16041410 | - | 0% | | 7000 टन |
| अन्य | 16041490 | - | 0% | | 7000 टन |
| अन्य तैयार या संरक्षित मछली | 16042000 | - | 0% | | 7000 टन |
| अन्य (विशिष्ट चीनी) | 17011490 | - | 10% | | 15000 टन |
| जौ से निर्मित बीयर | 22030000 | - | 25% | | 2,000,000 लीटर |
| फ्रूट वाइनः अन्य फर्मेन्टड पेय (उदाहरणतः साइडर, पैरी, मीड, सेक) फर्मेन्टेड पेय का मिश्रण और फर्मेन्टेड | 22060000 | - | 0% | | 5000 लीटर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पेय और नॉन अल्कोहलिक देय का मिश्रण, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है। | | | | | |
| 2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : ........... रम | 22084011 | - | 0% | सं. 25/2021 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 | 1.50 मिलियन लीटर |
| 2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : ........... अन्य | 22084012 | - | 0% | | 1.50 मिलियन लीटर |
| अन्य ...............रम | 22084091 | - | 0% | | 1.50 मिलियन लीटर |
| अन्य ...............अन्य | 22084092 | - | 0% | | 1.50 मिलियन लीटर |
| परिधान की वस्तुएं एवं वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री | 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 6203; 6304; | - | - | उपरोक्त अधिसूचना की तालिका 3 के अनुसार एचएस कोड का विवरण | 7.5 मिलियन नग $ |
| # आयात की अनुमति परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक III में दी गई व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन होगी। | | | | | |

$ 7.5 मिलियन नगों के कुल कोटा में से ऐसे सभी मदों के कुल जोड़ के न्यूनतम 5 मिलियन नग, भारत से प्राप्त धागों/फैब्रिक से विनिर्मित हैं।

2. परिशिष्ट–2क का अनुलग्नक III यथा संलग्न है।

**3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** भारत–मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित अधिसूचना सं. 25/2021–सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 की तालिका 4 में यथा उल्लिखित मदों हेतु टीआरक्यू और ऐसे आयात हेतु प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

अमित यादव
07/09/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. 01/93/180/63/एएम–21/पीसी–2(ख)/ई–27749 से जारी)

भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत मदों का आयात

(i) मदों की कुल मात्रा जिनका भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत आयात किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी:

| क्र.सं. | आईटीसी (एचएस) कोड | विवरण | टैरिफ दर कोटा मात्रा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 06031900 | ताजा:–अन्य | 15 टन |
| 2. | 08043000 | अनानास | 1000 टन |
| 3. | 08109060 | लीची | 250 टन |
| 4. | 09051000 | वनिला: न तो क्रश किया हुआ न ही पिसा हुआ | 15 टन |
| 5. | 09052000 | वनिला: क्रश किया हुआ या पिसा हुआ | 1 टन |
| 6. | 16041410 | टयूना | 7000 टन |
| 7. | 16041490 | अन्य | 7000 टन |
| 8. | 16042000 | अन्य तैयार या संरक्षित मछली | 7000 टन |
| 9. | 17011490 | विशिष्ट चीनी | 15000 टन |
| 10. | 22030000 | जौ से निर्मित बीयर | 2,000,000 लीटर |
| 11. | 22060000 | फ्रूट वाइन: अन्य फर्मेन्टड पेय (उदाहरणत: साइडर, पैरी, मीड, सैक); फर्मेन्टड पेय का मिश्रण और फर्मेन्टड पेय मिश्रण और नॉन अल्कोहलिक पेय, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है। | 5000 लीटर |
| 12. | 22084011 | 2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : .. .......... रम | 1.50 मिलियन लीटर |
| 13. | 22084012 | 2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : .. .......... अन्य | 1.50 मिलियन लीटर |
| 14. | 22084091 | अन्य ...............रम | 1.50 मिलियन लीटर |
| 15. | 22084092 | अन्य ...............अन्य | 1.50 मिलियन लीटर |
| 16 | 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 and 6203; 6304; | परिधान की वस्तुएं एवं वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री* | 7.5 मिलियन नग ** |

*सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना की तालिका–3 में उपर यथा उल्लिखित एचएस कोडस का विवरण

**7.5 मिलियन नगों के कुल कोटा में से ऐसे सभी मदों के कुल जोड़ के न्यूनतम 5 मिलियन नग भारत से प्राप्त धागों/फैब्रिक से विनिर्मित होने चाहिए।

ii. इन आयातों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन अनुमत किया जाएगा:–

क. आयात भारत–मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 25/2021 सीमा–शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।

ख. सभी आवेदनों के साथ मॉरीशस में विनिर्दिष्ट मदों के किसी एक पात्र निर्यातक के साथ किए गए पूर्व–खरीद समझौता संलग्न होना चाहिए। पूर्व–खरीद समझौते में मात्रा और संविदा को पूरा करने की समयावधि इंगित होनी चाहिए। मॉरीशस से निर्यात करने वाली पात्र इकाईयों की सूची को मॉरीशस सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

ग. आयात खेप की निकासी के समय भारत में आयातक को मॉरीशस के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी एक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

घ. इन आयातों के मामले में वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होगा।

ड. आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु सभी आवेदनों को नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में केवल ई–मेल import-dgft@nic.in के माध्यम से भेजे जाएंगे।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता | आईईसी सं. | आयात की जाने वाली वस्तु | आईटीसी (एचएस) कोड | आवेदित मात्रा (मि. टन) | सीआईएफ मूल्य (रु.) और शुल्क | आवेदन जमा करने की तिथि | टीआरक्यू के पंजीकरण का पत्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

च. आवंटन पात्र आवेदकों के बीच समान रूप से आवेदित मात्रा के अधीन किया जाएगा। आवेदन को अपेक्षित शुल्क के साथ एएनएफ 2ड और एएनएफ 1 में ऑनलाइन रूप से भरा जाना आवश्यक है। अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन हेतु आवेदन को वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी तक भेजा जाना चाहिए।

छ. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक निर्यातक कोड (आईईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना सं. यथा लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि इंगित होगी।

ज. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।

झ. टीआरक्यू के किए गए आयात को केवल आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट किए जाने पर अनुमत किया जाएगा।